

AV-15019/8/2015-DG  
Government of India  
Ministry of Civil Aviation

\*\*\*\*

B-Block, Rajiv Gandhi Bhawan,  
Safdurjung Airport, New Delhi-110003  
Dated the 25<sup>th</sup> January, 2016

To,  
The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, Outer Ring Road,  
New Delhi

Subject: Notification for publication in the Gazette of India Extra Ordinary.

\*\*\*\*


Sir,

I am directed to forward herewith a Notification even number dated the 25<sup>th</sup> January, 2016 (in bilingual) regarding the constitution of Committee of Inquiry to investigate the Serious incident to M/s Jet Airways Pvt. Ltd. Boeing B737-800 aircraft VT-JFA flight 9W-63 (Bangkok-Delhi) on 07.05.2015 at Delhi for publication in Part II, Section 2 Sub Section (ii) of the Gazette of India extra ordinary. The soft copy of the same has already been emailed to Government of India Press, Mayapuri on their email id [may-gippr@nic.in](mailto:may-gippr@nic.in) from [vesec.moca@nic.in](mailto:vesec.moca@nic.in) on 25<sup>th</sup> January, 2016. A copy of the email is enclosed.

2. It is also certified that the content of the Hard copy and soft copy are same and have been approved by the competent authority.

3. It is requested that 10 copies of the Notification after being published in the Gazette of India Extra Ordinary may kindly be made available to this office.

Yours faithfully,

  
(Deepak Sajwan) 25/1/16  
Under Secretary to the Govt. of India

Encl: As above.



ok

Issued with  
Encl. Savitri  
25/1/16

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11 खंड 2 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

25 जनवरी, 2015

अधिसूचना

सा. आ..... जबकि दिनांक 07.05.2015 को मेसर्स जेट एयरवेज़ बोइंग बी737-800 विमान वीटी-जेएफए 9 डब्लू-63 (बैंकॉक-दिल्ली) उड़ान के दौरान मुख्य पायलट के अशक्त हो जाने की एक गंभीर घटना हो गया था ।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस गंभीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना व्यावहारिक है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।


केन्द्रीय सरकार श्री आर. एस. पस्सी, उप निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

- |  |       |
|--|-------|
| (i) ग्रुप कैप्टन, राजेश कुमार, डीएमएस (सीए),                         | सदस्य |
| (ii) कैप्टन ध्रुव रेब्बाप्रगदा, उड़ान सुरक्षा प्रमुख (मेसर्स इंडिगो) | सदस्य |

समिति, जब कभी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

  
(बी एस भुल्लर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15019/8/2015-डीजी

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी  
बाहरी मुद्रिका रोड, नई दिल्ली